ऑन लाईन नं. GCMS 2020/00035

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 11/2020

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर(हाल सिरोही)।

—आवेदक

वनाम

1. श्री राजेश कुमार निवाड़ पुत्र श्री मदनलाल, जाति जाट, निवासी 1टीकेडब्ल्यू, ए, पोस्ट कैवला वाली ढाणी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़। (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
   मैसर्सः— राजेश कुमार निवाड़ 1टीकेडब्ल्यू, ए, पोस्ट कैवला वाली ढाणी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. श्री अनवर अली पुत्र श्री असत अली, वार्ड नंबर 28,नेहरू नगर, नोहर, जिला हनुमानगढ़। (मालिक व सप्लायर)
   मैसर्सः— Fair Deal चक 24, डी.डब्ल्यू.डी., सूरतगढ़ रोड, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांकः 23.01.2026

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 28.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.08.2017 को समय 7:00 बजे (पी.एम.) पर फर्म मे. राजेश कुमार निवाड 1 TKW A, पोस्ट कैवला वाली ढाणी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ को सप्लाई वाहन RJ 31 GA 8173 में भरे हुए Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) के 25kg x 16 sealed बैग का निरीक्षण सूरतगढ़ थाने में किया। जिसकी आवश्यक कार्यवाही के क्रम में, संदिग्ध मानते हुए वैन संख्या RJ 31 GA 8173 को थाने में जांच के क्रम में रोका गया था तथा दूरभाष पर श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर, को जांच एवं सेम्पलिंग संबंधी कार्यवाही हेतू अधिकृत टीम भिजवाने हेतू कहा गया था, जिस पर श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर डॉ. नरेश बंसल ने मौखिक रूप से आवेदक को आवश्यक कार्यवाही हेतू सूरतगढ़ थाने में जाने हेतू निर्देशित किया, जिसकी पालना में आवेदक सूरतगढ थाने में आवश्यक कार्यवाही के क्रम में पहुंचा। वैन के पास मौजूद व्यक्ति एवं ASI सूरतगढ़ प्रताप सिंह को अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। वैन एवं उसमें भरे हुए Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) को

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपना बताते हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार निवाड पुत्र मदनलाल निवाड, उम्र 26, जाति जाट, निवासी—1 टीकेडब्ल्यू ए, पोस्ट कैंचला वाली ढाणी, पीली बंगा, जिला हनुमानगढ़, बताया एवं इस Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) का उपयोग बेकरी उत्पाद आदि बनाने हेतू करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु, नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) के भरे हुए 25kgx16 पैक्ड बैग में से एक बैग खुलवाकर उसे चमचे से अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रूप किया, इस एक रूप किये हुए Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) में से 2kg जांच हेतु Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) को एक साफ सूखे, खाली, भिगोने में खरीदा, Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) की कीमत 260 रु अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5 ए तैयार किया, खाद्यकारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए, एवं स्वयं आवेदक ने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं प्लास्टिक के कंटेनर दिखाए। लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्यकारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् चारों नमूना कंटेनरों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया, जिस बैग से नमूना लिया गया उस बैग को खाली करवाकर नमूना कंटेनर के साथ लगाया, तत्पश्चात खरीद शुदा Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) को चारों साफ सूखे खाली प्लास्टिक कंटेनरों में बराबर—बराबर भरा, ढक्कन से एयरटाईट बंद किया, चारो नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप K—817 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य करोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं आवेदक ने भी अपने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्यकारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्यकारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता **राजेश कुमार निवाड** ने पढ़कर सुन कर, समझ कर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई, मूल मौका फर्द रिपोर्ट सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म VI की 8 प्रतियां तैयार की उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म VI की एक—एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों, प्रत्येक को अलग—अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बान्धा, ऊपर, नीचे, आजू, बाजू सील चपड़ी किया तथा फार्म 6 की दो—दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.08.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म VI का एक सील बन्द लिफाफा शेर सिंह डीईओ द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 06.08.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म छः का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को स्वंय ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैवोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1774/Act/2017/1846 Dated 23.08.2017 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-817 Unsafe Food** होना पाया गया। **श्री राजेश कुमार निवाड़ पुत्र श्री मदनलाल, जाति जाट, निवासी 1टीकेडब्ल्यू, ए, पोस्ट कैवला वाली ढाणी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)** को जांच की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से अंसतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जाचं हेतु **श्री राजेश कुमार निवाड़ पुत्र श्री मदनलाल** ने आवेदन प्रस्तुत किया, आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत नमूने के द्वितीय भाग को पुनः जांच हेतु रैफरल फूड लेवोरेट्री, पूणे भिजवाया गया। रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. DO/391/17/61/2018 Dated 15.01.2018 में खाद्य पदार्थ का नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री राजेश कुमार निवाड़ पुत्र श्री मदनलाल, जाति जाट, निवासी 1टीकेडब्ल्यू, ए, पोस्ट कैवला वाली ढाणी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) और श्री अनवर अली पुत्र श्री असत अली, वार्ड नंबर 28,नेहरू नगर, नोहर, जिला हनुमानगढ़ (मालिक व सप्लायर) मैसर्सः– Fair Deal चक 24, डी.डब्ल्यू.डी., सूरतगढ़ रोड, रावतसर, जिला हनुमानगढ़** द्वारा अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.03.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) वंद पैकिंग में आता है और उक्त पाउडर वंद पैकिंग में ही आगे सप्लायर को भेजा जाता है। हमारे द्वारा उक्त वैग को किसी प्रकार से खोलकर बेचान नहीं किया जाता और ना ही हमसे खोला हुआ पाउडर आगे सप्लायर लेता है। जहां तक Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) को खुले में वेचान नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 राजेश कुमार निवाड द्वारा उक्त पाउडर में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवमानना नहीं की गई। Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) को प्रार्थी द्वारा पैकिंग में ही बेचा जाता है उक्त पैकिंग पीछे से ही बनकर आती है व बैकरी वाले को उक्त पाउडर सीलबंद बैग में ही दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट आदि नहीं की गई। प्रार्थी के मौके पर हस्ताक्षर नहीं करवाए। अगर मौका फर्द तैयार की है तो प्रार्थी को जानकारी नहीं है।

अतः जवाब आवदेन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही को खारिज किए जाने के आदेश पारित किया जावे। श्रीमान् की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Skimmed Milk Permeate Powder (AST Whey Permeate Powder) का सैम्पल **K-817** रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. DO/391/17/61/2018 Dated 15.01.2018 अनुसार **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

धिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample bearing Code No and Sr. No. **K-817, Does not Conforms to the standard of Milk Powder as per Regulation No. 2.1.8(3) of the** Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed and is Substandard as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standard Act 2006. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री राजेश कुमार निवाड़ पुत्र श्री मदनलाल, जाति जाट, निवासी 1टीकेडब्ल्यू, ए, पोस्ट कैवला वाली ढाणी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) और श्री अनवर अली पुत्र श्री असत अली, वार्ड नंबर 28,नेहरू नगर, नोहर, जिला हनुमानगढ़ (मालिक व सप्लायर) मैसर्सः– Fair Deal चक 24, डी.डब्ल्यू.डी., सूरतगढ़ रोड, रावतसर, जिला हनुमानगढ़** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner